रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2004/आषाढ़ 31, 1926
No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2004/ASADHA 31, 1926

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2004

**सं. एल-7/25(8)/2004/सीईआरसी.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय आयोग कहा गया है), विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. फीस संरचना**

(1) (i) टैरिफ के अवधारण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी;

(ii) ऐसे आवेदन, जो टैरिफ के अवधारण के लिए या न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए या न्यायिक अभिलेखों के भाग रूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं हैं, के साथ केवल बीस हजार रुपए की फीस संलग्न की जाएगी और अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संदेय अतिशेष फीस, यदि कोई हो, आवेदन को ग्रहण करने के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर संदत्त की जाएगी;

(iii) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और केन्द्रीय आयोग में रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता समूह द्वारा किए गए आवेदन पर कोई फीस संदेय नहीं होगी।

टिप्पण :

अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन फीस सम्मिलित नहीं है तथा अनुज्ञप्ति फीस केन्द्रीय आयोग द्वारा पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) फीस सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश के माध्यम से संदेय होगी।

(3) प्राप्त फीस को विहित प्रयोजन के लिए नीचे दिए गए प्ररूप में केन्द्रीय आयोग द्वारा रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा :—

| क्र. सं. | याचिका/ आवेदन सं. | डि.ड्रा./ संदाय आदेश प्रेषित करने वाले पक्षकार का नाम | डि.ड्रा./ संदाय आदेश प्रेषित करने का प्रयोजन | रकम | डि.ड्रा./ संदाय आदेश की संख्या और तारीख | बैंक/ शाखा का नाम | अतिशेष फीस, यदि कोई हो, और डि.ड्रा./ संदाय आदेश की विशिष्टियों सहित अतिशेष फीस के संदाय की तारीख | डि.ड्रा./ संदाय आदेश प्राप्त करने वाले लिपिक का नाम और हस्ताक्षर | उस पदधारी का नाम और हस्ताक्षर जिसको डि.ड्रा./ संदाय आदेश भेजा गया है | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

3. **निरसन और व्यावृत्ति**

(1) विभिन्न प्रयोजनों के लिए फीस अधिकथित करने वाले केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) आदेश, 1999 के तत्स्थानी पैराओं का लोप किया जाता है।

(2) किसी लोप के होते हुए भी, ऐसे लोप से पूर्व लोप किए गए उपबंधों के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई को इन विनियमों के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित या की गई या किए जाने के लिए आशयित कार्रवाई समझा जाएगा।

**अनुसूची**

**फीस संरचना**

| क्रम सं. | आवेदन का नाम | फीस (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1. | उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन | 25 लाख |
| 2. | पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन | 5 लाख |
| 3. | कोई अन्य आवेदन, अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले आवेदन को छोड़कर | 1 लाख |
| 4. | अंतर्वर्ती आवेदन | 20,000 |
| 5. | न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन | 500 प्रति दिन |
| 6. | न्यायिक अभिलेखों के भागरूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन | 10/- प्रति पृष्ठ |

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असा./150/04]